

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)  
राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारी:-राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 30/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

1-मांगू आत्मज जगन्नाथ कुमावत निवासी खूंटिया खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

प्रार्थी

बनाम

- 1-सोहन आत्मज बगतावर कुमावत निवासी खूंटिया-खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
- 2-गंगाराम आत्मज जगन्नाथ कुमावत निवासी खूंटिया खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
- 3-केसर पिता जगन्नाथ कुमावत निवासी खूंटिया खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
- 4-राधेश्याम आत्मज भंवर कुमावत निवासी खूंटिया खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
- 5-प्यारा आत्मज पन्ना कुमावत निवासी खूंटिया खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
- 6-शंकर आत्मज पन्ना कुमावत निवासी खूंटिया खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
- 7-बाली पत्नि सोहन कुमावत निवासी खूंटिया खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
- 8-सायरी पत्नि सोहन कुमावत निवासी खूंटिया खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.
- 9-अमरचन्द आत्मज काशीराम ब्राह्मण निवासी नारायणखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा राज.

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद

अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 06.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट रायपुर में पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है ग्राम खूंटिया खेडा पटवार हल्का नारायणखेडा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 146 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 193 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 227 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 228 रकबा 0.06 है0, 229 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 238 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 490/155 रकबा 0.02 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 0.83 हैक्टेयर भूमि राजस्व खाता संख्या 64 पर स्थित है। प्रमाण में जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 तक मय नक्शा ट्रेस साथ प्रस्तुत है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के कोई मूश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त का लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने में दरम्यान पक्षकारान आपस में बराबर सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है। जिससे प्रार्थी को अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाना आवश्यक हो गया है। विपक्षीगण संख्या एक लगायत नौ प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ के पडौसी होने से उन्हें पक्षकार विपक्षीगण बनाये गये हैं। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा उक्त आराजियात की

पत्थरगढी करवाने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हर बार टालम बाजी का जबाव देते रहे हैं। प्रार्थी ने विपक्षीगण को अंतिम बार दिनांक 23.04.2018 को कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढी कराने से इन्कार हो गये। जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पडा है। यह बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 23.04.2018 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है और यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 01.05.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 01 से 04, 7 एवं 09 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। विपक्षी संख्या 05 एवं 06 उपस्थित है जिन्होने कोई आपति जाहिर नही की है। विपक्षी संख्या 08 के विरुद्ध प्रार्थी के अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

### आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम खूंटिया खेडा पटवार हल्का नारायणखेडा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 146 रकबा 0.09 है०, आराजी संख्या 193 रकबा 0.16 है०, आराजी संख्या 227 रकबा 0.22 है०, आराजी संख्या 228 रकबा 0.06 है०, 229 रकबा 0.07 है०, आराजी संख्या 238 रकबा 0.21 है०, आराजी संख्या 490/155 रकबा 0.02 है० कुल किता 7 कुल रकबा 0.83 हैक्टेयर भूमि राजस्व खाता संख्या 64 पर स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/- अक्षरे सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 400/- अक्षरे चार सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

राजलक्ष्मी गहलोट  
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 06.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजलक्ष्मी गहलोट  
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा